सूर्यकांत और हरि पाल वर्मा से पहले**,** जे**.** जे**.**

दीप चन्द **-**याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और प्रतिवादी

2015 का सीडब्ल्यूपी **No.27403**

22 मई, 2017

भारत का संविधान**, 1950-Art.226** और **227-**बहादुरगढ़ में आवासीय फ्लैट का आवंटन**-**पात्रता शर्तें**-**भूखंडों के ड्रा के बाद एक अतिरिक्त शर्त लागू करना**-**आयोजित**,** लॉट के ड्रॉ के बाद किसी व्यक्ति पर कोई अतिरिक्त पात्रता शर्तें नहीं लगाई जा सकती हैं।

यह माना गया कि, हमारे विचार में, एक बार टाइप-ए फ्लैटों के आवंटन के लिए सूचना विवरणिका में पात्रता के नियम और शर्तें प्रकाशित हो जाने के बाद, याचिकाकर्ता की पात्रता को केवल उन शर्तों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।पात्रता शर्तों में बाद में परिवर्तन का याचिकाकर्ता की पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।इसी तरह, उन पर कोई अतिरिक्त पात्रता शर्तें नहीं लगाई जा सकती हैं जो कभी भी सूचना विवरणिका में शामिल नहीं की गई थीं और जिन्हें आम जनता को नहीं बताया गया था।एक बार जब खेलों के नियम निर्धारित हो जाते हैं और उन्हें लागू कर दिया जाता है, तो उन्हें बीच रास्ते में नहीं बदला जा सकता है।

(पैरा 7)

आगे कहा कि यह शर्त कि आवेदक के पास अपने नाम पर या अपनी पत्नी, अविवाहित नाबालिग बच्चों या हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में उस पर निर्भर किसी रिश्तेदार के नाम पर घर नहीं होना चाहिए, केवल उन आवेदकों पर लागू होती है जिन्होंने ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन किया है।इस प्रकार अधिकारियों ने सचेत रूप से विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न पात्रता शर्तों को निर्धारित किया। टाइप-ए फ्लैटों के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों में कोई शुद्धिपत्र या

(सूर्यकांत, जे.)

संशोधन नहीं होने के कारण, लॉट के ड्रॉ के बाद कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई जा सकती थी।

(पैरा 9)

जय विजारानिया, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए

रवि दत्त शर्मा, डीएजी हरियाणा सतीश सिंह, अधिवक्ता

विशाल गर्ग के लिए, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए अधिवक्ता

(सूर्यकांत, जे.)। (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता ने ज्ञापन दिनांकित 23.10.2015 (P4) ज्ञापन को इस हद तक रद्द करने की मांग की है कि उसे इस खंड के साथ प्रारूप (P5) में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में उसके, उसकी पत्नी, अविवाहित नाबालिग बच्चों या उस पर निर्भर किसी रिश्तेदार के पास कोई आवासीय घर नहीं है।

(2) तथ्य निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं।याचिकाकर्ता ने बहादुरगढ़ में टाइप-ए के आवासीय फ्लैट के आवंटन के लिए आवेदन किया, जिसके लिए आवास बोर्ड, हरियाणा द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे।सूचना विवरणिका के अनुसार, जिन आवेदकों ने टाइप-ए, टाइप-बी और टाइप-III (बहादुरगढ़, सिरसा, जींद और करनाल) के फ्लैट के लिए आवेदन किया था, उन्हें निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक था:-

"I. आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।

II. आवेदक ने पंजीकरण के समय वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली होनी चाहिए।

दीप चन्द -याचिकाकर्ता बनाम हरियाणा राज्य और प्रतिवादी

III. आवेदक के पास उस स्टेशन पर आवास बोर्ड हरियाणा/हुडा द्वारा मूल रूप से आवंटित कोई घर/फ्लैट/अपार्टमेंट/भूखंड नहीं होना चाहिए जिसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन जमा किया जा रहा है अर्थात बहादुरगढ़/ सिरसा /जींद/करनाल।

IV. आवेदक फ्लैट की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक आवेदन करने का पात्र होगा।यदि आवेदक ड्रॉ के समय एक से अधिक फ्लैट के लिए सफल होता है, तो वह एक फ्लैट रखने का हकदार होगा।

ध्यान दें:

किसी भी स्तर पर तथ्यों को दबाने/छिपाने के परिणामस्वरूप फ्लैट का पंजीकरण/आवंटन रद्द हो जाएगा, इसके अलावा जमा की गई पूरी राशि को जब्त कर लिया जाएगा।"

(जोर दिया गया)

[(3) याचिकाकर्ता लॉट निकालने में सफल रहा और इसके परिणामस्वरूप 23.10.2015 दिनांकित ज्ञापन के माध्यम से उसे उसके अंतिम पंजीकरण No.102 के खिलाफ सेक्टर 9, बहादुरगढ़ में एक टाइप-ए फ्लैट की पेशकश की गई है।हालाँकि, सूचना विवरणिका में प्रकाशित पात्रता शर्तों के बिल्कुल विपरीत, याचिकाकर्ता को अब शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है इस आशय का शपथ पत्र कि उसके पास अपने नाम पर या अपनी पत्नी या अविवाहित नाबालिग बच्चों या हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में उस पर निर्भर किसी रिश्तेदार के नाम पर कोई आवासीय घर नहीं है।

(4) पीड़ित याचिकाकर्ता ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

(5) प्रतिवादी ने याचिका दायर की है कि याचिकाकर्ता के दूसरे ड्रॉ में सफल होने से पहले ही उन्होंने सेक्टर 9, बहादुरगढ़ में भूखंडों के संबंध में आवास बोर्ड हरियाणा (आवंटन, प्रबंधन और मकानों की बिक्री) विनियम, 1972 के संदर्भ में 'आरक्षण' का लाभ बढ़ाया और चूंकि याचिकाकर्ता उन विनियमों के तहत लाभार्थी है क्योंकि वह अनुसूचित जाति की आरक्षित श्रेणी से संबंधित है, इसलिए वह संशोधित प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है।

(6) हमने पक्षों के द्वारा विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(7) हमारे सुविचारित विचार में, एक बार टाइप-ए फ्लैटों के आवंटन के लिए सूचना विवरणिका में पात्रता के नियम और शर्तें प्रकाशित हो जाने के बाद, याचिकाकर्ता की पात्रता को केवल उन शर्तों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।पात्रता शर्तों में बाद में परिवर्तन का याचिकाकर्ता की पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।इसी तरह, उन पर कोई

अतिरिक्त पात्रता शर्तें नहीं लगाई जा सकती हैं जो कभी भी सूचना विवरणिका में शामिल नहीं की गई थीं और जिन्हें आम जनता को नहीं बताया गया था।एक बार जब खेलों के नियम निर्धारित हो जाते हैं और उन्हें लागू कर दिया जाता है, तो उन्हें बीच रास्ते में नहीं बदला जा सकता है।

(8) रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि याचिकाकर्ता किसी भी आरक्षण नीति का लाभार्थी है जिसे कथित रूप से प्रतिवादी द्वारा लॉट के ड्रॉ से पहले बढ़ाया गया है।जब याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था तब अनुसूचित जातियों के लिए टाइप-ए श्रेणी के फ्लैटों में पहले से ही आरक्षण था।उन्होंने केवल उक्त आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया था। इस प्रकार उन्हें किसी भी बाद के निर्णय के माध्यम से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया गया।

(9) इसके अलावा, सूचना विवरणिका के अनुसार, यह शर्त कि आवेदक के पास अपने नाम पर या अपनी पत्नी, अविवाहित नाबालिग बच्चों या हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में उस पर निर्भर किसी रिश्तेदार के नाम पर घर नहीं होना चाहिए, केवल उन आवेदकों पर लागू होती है जिन्होंने ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन किया है।इस प्रकार अधिकारियों ने सचेत रूप से विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न पात्रता शर्तों को निर्धारित किया।टाइप-ए फ्लैटों के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों में कोई शुद्धिपत्र या संशोधन नहीं होने के कारण, लॉट के ड्रॉ के बाद कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई जा सकती थी।

(10) पूर्व में बताए गए कारणों के लिए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और दिनांक 23.10.2015 के विवादित संचार को खारिज कर दिया जाता है जिसमे याचिकाकर्ता को एक विशेष प्रारूप में हलफनामा प्रस्तुत आदेश की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता और अधिकारियों को उस शपथ पत्र पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है जिसे याचिकाकर्ता को इस आदेश के पैरा 2 में पुनः प्रस्तुत पात्रता शर्तों के अनुसार प्रस्तुत आदेश की आवश्यकता होती है।इस तरह शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर, याचिकाकर्ता को योग्य माना जाएगा और उसे फ्लैट आवंटित किया जाएगा, क्योंकि वह लॉट के ड्रॉ में सफल रहा है।

(11) इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्य किया जाएगा।

पायल मेहता

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा से इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

निधि तंवर